SHRI BHAGWAT JHA AZAD: What right have you to criticise a Chief Minister in this House? Who are you to do so? When the Chief Minister is not there in this House, why are you criticising the Chief Minister of Maharashtra?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Order please.

SHRI BHAGWAT JHA AZAD: He has got his own opinion.

SHRI ARVIND GANESH KULKARNI: You must know the rules and regulations and functioning of this House. I have rightly been permitted by the Chairman to raise it. I will say all this. I have been rightly permitted by the Chairman. I have got no obligation towards you.

(Interruptions)

SHRI BHAGWAT JHA AZAD: You have no obligation towards democracy.

SHRI ARVIND GANESH KULKARNI: I am permitted by the Chair. I do say that the Chief Minister of Maharashtra has to be pulled up by the Prime Minister for degenerating and demoralising the judiciary. This is my right.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude now. *(Interruptions)*

SHRI ARVIND GANESH KULKARNI: He is a good man. I was taken aback when I was told he has said it. If he had not said it, I have got nothing to say against him.

SHRI BHAGWAT JHA AZAD: Then what about all this you have already said about me. Why don't you withdraw this?

SHRI ARVIND GANESH KULKARNI: I will not withdraw.

SHRI BHAGWAT JHA AZAD: Why not?

SHRI ARVIND GANESH KULKARNI: Some of his partymen said this. Be bold enough and tell me who has said this. *(Interruptions)*

SHRI BHAGWAT JHA AZAD: You have no right to say anything you like. Please be careful in future. We can hit back like that.

SHRI ARVIND GANESH KULKARNI: Don't talk these things. Sir, I was only drawing attention to what the Chief Minister of Maharashtra has said.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have said it. Now please conclude.

SHRI ARVIND GANESH KULKARNI: Judiciary in Bombay is of high repute. It is now discharing its duties with high reputation. It is not only doing with reputation but as a model. And it will be demoralised by such irrelevant and condemnable utterances of the Chief Minister of Maharashtra.

REFERENCE TO THE REPORTED DISCRIMINATORY POLICY OF AIR AND DOORDARSHAN

श्री हरी शंकर भाभड़ा (राजस्थान): उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से...

श्री उपसभापति: बहुत संक्षेप में कहिए।

श्री हरी शंकर भाभड़ा: बहुत संक्षेप में कहूंगा मुझे झगड़ने की आदत नहीं है। आकाशवाणी और दूरदर्शन संसद् समीक्षा व समाचार देने में जो भेदभाव की नीति बरत रहे हैं, मैं उसकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। संसद् में कालिंग अटेन्शन होता है, स्पेशल मेंशन होते हैं, डिबेट्स होती है, लेकिन आकाशवाणी से जो संसद् समीक्षा आती है, उसमें कभी किसी एक सदस्य का नाम आता है, कभी दो का नाम आता है, कभी सब का आता है, कभी किसी का नहीं आता है। डिबेट्स में भी इसी प्रकार से भेद भाव होता है, स्पशल मेंशन में भी इसी प्रकार कभी एक का आता है, दो का, कभी किसी का नहीं आता है, यानी कोई नियम नहीं है और उसका परिणाम यह है कि आकाशवाणी में जहां तक संसद् मदस्यों का सवाल है, उसमें भी एक रूपता और समानता से सब संसद् सदस्यों को देखना चाहिए, आज दूरदर्शन और आकाशवाणी

[श्री हरि शंकर भाभड़ा]

अपने समाचारों के प्रसारण में उसका प्रयोग नहीं कर रहा है। संसद् के अलावा राजनीतिक समाचारों के सम्बन्ध में आकाशवाणी जितना समय एक पार्टी के प्रचार में देती है उतना अन्य पक्षों को नहीं दिया जाता। दूरदर्शन पर भी उतना अन्य पार्टियों को नहीं मिलता है।

मान्यवर, जब प्रधान मंत्री बहैसियत अध्यक्ष कांग्रेस (आई) के का मीर यात्रा पर गई थीं, तो यूज बुलेटिन में उनकी आवाज को सुनाया गया था। यह नियम विरुद्ध है। न्यूज देना एक बात है, लेकिन उनकी आवाज को न्यूज बुलेटिन में सुनाना गलत बात है। इसी प्रकार 5 जनवरी, 1980 को जब जयपुर पार्लियामेंट सीट के चुनाव की मतगणना हो रही थी, तो साढ़े ग्यारह बजे यह अनाउंस किया गया कि चुनाव अधिकारी ने दुबारा मत-गणना का आदेश दिया है जबकि ऐसा आदेश नहीं दिया गया था। परिणाम यह हुआ कि उसी आधार पर आज सुप्रीम कोर्ट में पैटीशन चल रहा है। इसी तरह से अभी 20 नवम्बर को श्री सतीश अग्रवाल की पैटीशन के बारे में जो आर्डर अदालत ने दिया उसकी घोषणा तो की गई, लेकिन जब उसी अदालत ने उस आर्डर को स्टे किया तो उस संबंध में कुछ नहीं कहा गया। इस प्रकार से यह भेद-भाव नीति आकाशावणी और दूरदर्शन में बरती जा रही है। मैंने यहां टेलीफोन के बारे में स्पेशल मेंशन किया। उस पर एक्शन भी हुआ। यहां के जिला टेली कम्यूनिकेशन के मैनेजर को डिसमिस किया जा रहा है, हटाया जा रहा है, लेकिन उसका नाम नहीं आया। बाकी स्पेशल मेंशन जो उस दिन इस सदन में किए गए थे उनका उल्लेख किया गया था।

इस तरह आकाशवाणी और दूरदर्शन को कुछ आधारभूत सिद्धांतों के आधार पर ही काम करना चाहिए।

श्री सत्यपाल मलिक (उत्तर प्रदेश) : आकाशवाणी के खिलाफ . . .

(Interruptions)

श्री उपसभापति : आप अपना स्पेशल मेंशन कहिए, इसको छोड़िये।

REFERENCE TO THE ALLEGED SABOTAGE OF THE TOP DEFENCE PROJECTS OF THE COUNTRY.

श्री सत्यपाल मलिक (उत्तर प्रदेश) : मैं आपकी आज्ञा से एक विशेष महत्व के प्रश्न पर बोलना चाहता हूं जिसका ताल्लुक हमारे देश की प्रतिरक्षा तैयारी से और प्रतिरक्षा के मामले में स्वावलम्बी बनने से है। जो हमारी डिफेंस लैबोरेट्रीज है, उनमें करीब अभी तक दस साल में सात मिलियन का खर्चा हो चुका है, पैंतीस हजार उसमें गजेटिड रैंक के साइंटिस्ट हैं और बीस हजार नान गजेटिड लोग उसमें लगे हुए हैं। लेकिन आए दिन अखबार हमको दिल हिलाने वाली खबरें सुनने को मिलती है। किसी दिन लिखा होता है कि टाप डिफेंस प्रोजेक्ट सैबोटाज्ड, किसी दिन खबर मिलती है कि दो सौ जगुआर हवाई जहाज जमीन पर हैं क्योंकि उनके संयंत्र डिफेक्टिव है। मेरे पास बहुत से ऐसे मामले हैं, लेकिन उसमें सदन का समय चला जाएगा और उससे कोई पर्पज हल नहीं होगा; क्योंकि जिस नियम के तहत मैं बोल रहा हूं उसमें मिनिस्टर साहब के ऊपर यह बन्दिश नहीं है कि वह जवाब दें। लेकिन जिस तरह के यहां नियम हैं, तो कम वक्त में आपके सामने जो एक प्रोजेक्ट जिसको कि जान-बूझ कर के सैबोटाज किया गया है, उसको सदन के सामने लाना चाहता हूं। यह प्रोजेक्ट 1972 में शुरू किया गया था। इसके तहत इनफ्रा-रैड डिटेक्टर्स होते है जो मिसाइल्स में लगाए जाते है। मिसाइल की इलैक्ट्रानिक आंख होती है जो जहाज दुश्मन का उड़ता है, उसकी टेल से जो गर्मी निकलती है, उसके आधार पर उसका पीछा करने के लिए होते है